TEN RU भारत INDIA पचपन पैसे 55PAISE

43

C.F.B. 151

प०क्र. 990366 रिव्यू 366-IV/99

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रिव्यू. क्र. /99

1. गब्बर सिंह पुत्र श्री हरी सिंह नि.ग्राम मुहरेका टप्पा सुभाषपुरा

2. जगदीश वर्मा पुत्र श्री नारायण निवासी हाल - कोर्ट रोड, शिवपुरी (म.प्र.)

— आ

वि.

1. रतिराम पुत्र रनआ
2. रामसेवक ,, दोजीराम
3. महिला जामुनि पत्नी राम
4. माडूराम पुत्र पूंदीराम,
5. रामवरन ,, दोजीराम
6. राम सिंह ,, जीवनलाल
7. हरीराम ,, मंगलिया
8. हरिभजन ,, मकिमराम
9. कन्हैयालाल ,, बलराम
10. भगवान सिंह ,, दोजीराम
11. लाखाराम ,, चरणदास
12. संतोष ,, बाबूलाल
13. राकेश ,, गंगाराम.
14. देवीराम ,, धनीराम
15. सेवकराम ,, मन्नूराम
16. बृजमोहन ,, मुच्छीराम
17. रतनलाल ,, मोतीलाल
18. राजेन्द्र ,, कमलूराम
19. बूचाराम ,, हल्का

IV
के.के. द्विवेदी 26.2.99
26.2.99

26.2.99
K. K. Dwivedi
Advocate

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 336–चार/99 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
20.7.16	आवेदक की ओर से श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 836–दो/98 में पारित आदेश दिनांक 28.12.98 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 336–चार/99 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 836–दो/98 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 28.12.98 से किया जा चुका है। 4–रिव्यु प्र0क0 366–चार/99 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य